बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

TWT
Truth Will Triumph

पत्र संख्या 02 पटना दिनांक 8-1-2001

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव,
बिहार पुलिस सेवा संघ,

बिहार अभियंत्रण सेवा संघ,

बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ,

बिहार वित्त सेवा संघ

विषय:- केन्द्रीय वेतनमान, सभी सेवा शर्त्तों के साथ सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 58 से 60 वर्ष करने सहित सरकार द्वारा लागू नहीं करने के विरूद्ध महासंघ के माध्यम से आन्दोलन करने के संबंध में ।

=====0====

महाशय,

बिहार राज्य राजपत्रित पदाधिकारी महासंघ के महासचिव का पत्र जिसमें 29-10-2000 को महासंघ के केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव सहित कुछ अपने भी विचार प्रस्ताव सहित रखे गये हैं के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो सवाल उठाये गये हैं अब वर्त्तमान परिवेश में उस पर विचार करना आवश्यक हो गया है । यह बात सही है कि महासंघ के कार्यकलापों के संबंध में पिछली अनुभव बहुत बूरे हैं और इसीलिए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अपने आपको अलग रखा है । बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के महासचिव ने दूरभाष पर आपको जो सूचना दी थी वास्तव में वह संघ का ही निर्णय था, लेकिन आपके विचार अतिउत्साहवर्द्धक हैं ।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि महासंघ में कितने सेवा संघ हैं और किस संघ में गुणक संख्या कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महासंघ की एकजूटता, अखण्डता

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या.......................... पटना
दिनांक..............................

और उसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण होना चाहिए । अगर महासंघ का उद्देश्य केवल सरकार से लड़ना है तो यह उचित नहीं है । अगर महासंघ का उद्देश्य किसी विशेष परिस्थिति में विशेष मुद्दों पर जो सभी संघों के लिए आवश्यक है, पर अगर आधारित है तो उसकी प्राप्ति के लिए महासंघ के सभी सदस्यों को जितनी भी कुर्बाणी देना पड़े तत्पर रहना होगा । अगर यही महामंत्र महासंघ का हो तो इससे अलग किसी भी संघ की शक्ति चाहे वे कितना भी संगठित और कितना भी सरकार के लिए उपयोगी हो बड़ी नहीं हो सकती है ।

सभी संघों की अलग-अलग समस्यायें हैं और प्रत्येक संघ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग जागरूक एवं तत्पर होकर लड़ाई लड़ता है और महासंघ के गठन से इस पर कोई रोक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि महासंघ का अस्तित्व तभी बना रहेगा जब सभी संघो का अलग-अलग अस्तित्व कायम रहेगा, इसलिए महासंघ को पहले अपना संविधान, उद्देश्य और मांग तथा उसकी पूर्ति के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना होगा । यह भी सही है कि पूर्व की सरकार हो या वर्त्तमान सरकार किसी ने बिना संघर्ष के संघ के झोली में कुछ दिया भी है बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोकर अंतिम दम तक संघर्ष करना पड़ा है ।

दि0 21-11-97 को महासंघ एवं सरकार के साथ हुए समझौते, फिटमेण्ट कमिटी का गठन, उसका प्रतिवेदन और उस आधार पर सरकार द्वारा वेतनमान एवं सेवा शर्त्तों के संबंध में लागू किये गये आदेश, उससे उत्पन्न कई विसंगतियाँ, उसके निवारण के लिए फिटमेण्ट अपीलीय समिति का गठन एवं उससे प्राप्त प्रतिवेदन से विसंगति की समस्यायें खासकर बेसिक ग्रेड, अपर सचिव एवं विशेष सचिव का वेतनमान सभी केन्द्रीय सेवा शर्त्तों और सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 58 से 60 वर्ष करने

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या........................ पटना

की विसंगतियाँ ज्यों की त्यों बनी रह गयी । यह स्पष्ट है कि पहले सरकार ने हमारे साथ छल किया और दोनों 2 कमिटियों के द्वारा हम ठगे गये । हमने जिन पर विश्वास किया, उसी ने हमारी गर्दन काटी । अब ऐसी परिस्थिति में एकजूट होकर आन-बान और शान के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने का समय आ गया है । अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियाँ हम सबों को कोसती रहेगी और कभी माफ नहीं कर पायेगी ।

हमारा यह मानना है कि अगर उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर खासकर बेसिक ग्रेड, अपर सचिव एवं विशेष सचिव का वेतनमान, सभी केन्द्रीय सेवा शर्त्तें और सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 58 से 60 वर्ष करने की समस्यायें सभी सम्वर्गों की है और इसी मुद्दे पर अगर महासंघ संघर्ष का आह्वान करती है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इसका न केवल स्वागत करेगा बल्कि आगे बढ़कर हर कुर्बाणी देने को तैयार रहेगी । संघ की यह इच्छा है कि इसके लिए पहले एक आवश्यक बैठक बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ एवं बिहार वित्त सेवा संघ के साथ हो और उसमें कई दौर की वार्त्तायें करते हुए सम्यक रूप से निर्णय लिये जायं तो अति बेहतर होगा । इसका यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि मैं महासंघ के अन्य सदस्यों के विरोध में हूँ या मेरी भावना में कोई खोट है लेकिन आप स्वयं सहमत होना चाहेंगे कि 35 संघों के साथ एक साथ बैठकर कोई सम्यक निर्णय नहीं लिया जा सकता है ।

हम आपके उत्तर का इन्तेजार करेंगे । नव वर्ष के शुभकामनाओं के साथ।

विश्वासभाजन,

(जी०एल० दास)
महासचिव ।

(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष ।